

पत्रांक-श्रम क०सं०-116/2025-670
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, किशनगंज के ज्ञापांक (कॉलम 6 में वर्णित) से छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 12वीं/11वीं में अध्ययनरत 02 छात्र/छात्रा को प्रति छात्र/छात्रा रू० 2,500/- (दो हजार पांच सौ रूपए मात्र) की दर से कुल राशि रू० 5,000/- (पांच हजार रूपए मात्र), अनुदान की स्वीकृतोपरान्त राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में दावेदार कामगारों/शिल्पकारों के अध्ययनरत पुत्र/पुत्री को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके पुत्र/पुत्री का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	दावेदार का नाम, उध. पिता/पति का नाम, कोटि, कार्य की प्रकृति	पुत्र/पुत्री का नाम एवं आधार संख्या	अध्ययनरत छात्र/छात्रा का कक्षा/ संस्थान	माता एवं पिता का आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मो० नं०	पुत्र/पुत्री का बैंक एवं शाखा का नाम/खाता संख्या/आई.एफ.एस.सी	छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललन राम, 41, अनुसूचित जाति, ईंट पत्थर तोड़ने वाला	तुलसी कुमारी	+2 उत्कर्मित माध्यमिक विद्यालय रतुआ, प्रखंड-पोठिया, जिला-किशनगंज, भौक्षणिक सत्र-2025-27, कक्षा 11वीं कक्षा	माता-9797 4490 7257 पिता-3058 4347 3648	64 10.01.2026	ग्राम-सीताझाड़ी, थाना-पहाड़कट्टा, पो०-पहाड़कट्टा, जिला-किशनगंज, मो०-9122298843	SBI 3608091 3623 SBIN000 0117	रू० 2,500/- (दो हजार पांच सौ रूपए)
2	तपन लाल उर्फ तपन लाल बरोई, 47, आसीन लाल, अनुसूचित जाति, बेलदार	मोसमी कुमारी	+2 उत्कर्मित माध्यमिक विद्यालय रतुआ, प्रखंड-पोठिया, जिला-किशनगंज, भौक्षणिक सत्र-2024-26, कक्षा 12वीं कक्षा	माता-5699 3743 5939 पिता-7062 3247 9540	191 09.02.2026	ग्राम-बोरोडांगी, थाना-पहाड़कट्टा, पो०-पहाड़कट्टा, जिला-किशनगंज, मो०-8918968298	SBI 3604294 9770 SBIN000 0117	रू० 2,500/- (दो हजार पांच सौ रूपए)

कुल :-रू० 5,000/-
(पांच हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन) 2024" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 09) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 03 में अंकित पुत्र/पुत्री के बैंक खाते कॉलम 08 में किया जाएगा।

ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-116/2025-670

पटना, दिनांक :- ०२/०३/२०२६

प्रतिलिपि :-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित पुत्र/पुत्री को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 09 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा



शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 5,000/- (पांच हजार रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, किशनगंज/उप श्रमायुक्त, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Rohit Kumar

Date: 05-06-2026 10:46:56

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक